कार्यालय अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

क्रमांक / अधि. / सिम्स / 2025 / 4163 छिन्दवाड़ा, दिनांकः– 09.04.2025

–: नोटिस इन्वाइटिंग कोटेशन :–

छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिंदवाड़ा के सम्बद्ध चिकित्सालय जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा में निम्नानुसार चिकित्सकीय उपकरणों की रिपेयरिंग करने हेतु संबंधित मशीनों का सर्वे कर अधिकृत इच्छुक एजेंसी / फर्म / ठेकेदारों से मुहरबंद कॉटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	विवरण	मशीनों की संख्या	विभाग का नाम
1.	ABG Machine	1	ICU Ground Floor
2.	Central Monitoring System	1	ICU Ground Floor
3.	Ventilator	2	ICU
4.	Infusion Pump	1	SICU
5.	Turnicate	3	MOT

उक्त कार्य हेतु कोटेशन जमा करने की प्रारंभ दिनांक–11 / 04 / 2025 एवं समाप्ति दिनांक– 17 / 04 / 2025 शाम 5:00 बजे तक है।

सामान्य नियम एवं शर्तेः–

1. दिनांक–17 / 04 / 2025 तक छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिंदवाड़ा के सम्बद्ध चिकित्सालय जिला अस्पताल छिन्दवाड़ा में उपरोक्त मशीनों / उपकरणों का सर्वे कर अधिकृत एजेंसी / फर्म / ठेकेदारों को मुहरबंद कॉटेशन उपलब्ध जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोटेशन को संलग्न निर्धारित प्रारूप में अधिकृत एजेंसी / फर्म / ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। अधिकृत एजेंसी / फर्म / ठेकेदार के पास डिग्रीधारी बायोमेडिकल इंजीनियर होना अनिवार्य है, जिसके शैक्षणिक दस्तावेज कॉटेशन के जमा किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में कॉटेशन अमान्य कर दिया जावेगा।
3. कॉटेशन एक शीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिस पर इन्क्वायरी रिफरेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
4. दर (प्राइस विड) निर्धारित प्रपत्रों में भरकर स्वहस्ताक्षरित कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
5. समस्त दरों को माल ढुलाई शुल्क, बीमा, इन्स्टॉलेशन चार्ज समेत दर प्रपत्र में भरना होगा।
6. समस्त कोटिड दर कॉटेशन ऑपन होने की तारीख से 180 दिन तक वैध होगी।
7. एल 1 (न्यूनतम दर) कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी एवं न्यूनतम दर कार्यादेश जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगी।
8. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस होगी।
9. यदि अधिकृत एजेंसी / फर्म / ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करने में असफल होता है तो संस्था को उचित कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भुगतान की शर्ते–

10. निर्धारित समय के भीतर एजेंसी / फर्म / ठेकेदार द्वारा कार्य को संतोषजनक तरीके से पूर्ण करने तथा संस्था के प्रतिनिधि के निरीक्षण के बाद अधिकृत एजेंसी / फर्म / ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. सम्मिलित देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् देयकों का प्रमाणन होने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
11. विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. कार्य की आवृत्ति को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार सिम्स अधिष्ठाता को होगा।
13. किसी भी कॉटेशन को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार सिम्स छिंदवाड़ा के पास सुरक्षित होगा। इस संबन्ध में मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
छिंदवाड़ा म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner